राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 47/06–07

विषयः– श्री जयन्त कुमार गुप्ता, पिता– स्व0 मिश्री लाल, मुहल्ला– खन्दकपर, बिहार शरीफ, नालन्दा का का प्राप्त आवेदन पत्र।

10.11.2006 श्री राजीव लोचन, अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आवेदन–पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए दिनांक–04.12.06 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक उनके मंतव्य की मांग की जाए एवं दिनांक–04.12.06 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई के लिए रखें। आवेदक को भी सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.12.2006 आवेदक अनुपस्थित हैं परन्तु अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उपस्थित हैं एवं उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अगली सुनवाई की तिथि 04.01.07 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आवेदक को बुलाया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक श्री जयन्त कुमार गुप्ता उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी, नालन्दा से आवेदक द्वारा दिनांक 18.12.06 को दिये गये प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 20.01.07 तक मंतव्य की मांग की जाय तथा सुनवाई के लिए दिनांक 24.01.07 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय। उक्त तिथि को अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी सुनवाई के समय उपस्थित रहने के लिए सूचित किया जाय।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

24.01.2007 वादी उपस्थित हैं। वादी द्वारा 15 सितम्बर 2006 को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी के कक्ष में दिये गए आवेदन पत्र की प्रति अपीलीय अभ्यावेदन के साथ संलग्न नहीं है परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी ने वादी के पत्र को दिये गये उत्तर की प्रति संलग्न किया है। वादी के मूल आवेदन के अभाव में, दिये गए सूचना पूर्ण है या अपूर्ण, यह निश्चित करना संभव नहीं है। वादी द्वारा सुनवाई के दौरान भी अपना मूल आवेदन 15 सितम्बर 2006 को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस परिस्थिति में इस अपीलीय अभ्यावेदन पर आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। मामला को संचिकास्त किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त